

शिक्षा विभाग, बिहार।

प्रेषक,

अखिलेश्वर कुमार पाण्डेया,
निदेशक (शोध एवं प्रशिक्षण)।

सेवा में,

प्राचार्य,
सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।
सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी।
सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक।

पटना, दिनांक.....

विषय:-
महाशय,

प्रखण्ड संसाधन केन्द्र एवं संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक के मार्गदर्शिका के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रखण्ड संसाधन केन्द्र एवं संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक मार्गदर्शिका की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है। मार्गदर्शिका के निर्धारित निदेशों के आलोक में प्रखण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयक तथा संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक का चयन शीघ्र सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक-मार्गदर्शिका की प्रति

विश्वासभाजन

ह०/-

(अखिलेश्वर कुमार पाण्डेया)
निदेशक, (शोध एवं प्रशिक्षण)।

ज्ञापांक-.....

पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि-राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

निदेशक, (शोध एवं प्रशिक्षण)।

ज्ञापांक-.....

पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि- निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

निदेशक, (शोध एवं प्रशिक्षण)।

ज्ञापांक-.....

पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि- प्राचार्य, सभी प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

निदेशक, (शोध एवं प्रशिक्षण)।

ज्ञापांक-.....

54

पटना, दिनांक- 01/2/2013

प्रतिलिपि-श्री गौरव कान्त, आई०टी०मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बैबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण।

प्रखंड संसाधन केन्द्र एवं संकुल संसाधन केन्द्र

समन्वयक

मार्गदर्शिका

शोध एवं प्रशिक्षण-निदेशालय

"Fellow citizens, why do you turn and scrap every stone to gather wealth and so little care for your children to whom one day must you relinquish it all".

Socrates

बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून के अन्तर्गत राज्य के 6-14 आयुवर्ग के प्रत्येक बच्चे की प्रारम्भिक शिक्षा राज्य का दायित्व है। सर्व शिक्षा अभियान एवं राज्य सरकार के स्तर से किये गये सघन प्रयासों के फलस्वरूप राज्य के 6-14 आयुवर्ग के अधिकांश बच्चे विद्यालय में नामांकित हैं। 6-14 आयुवर्ग के कुछ बच्चे जो आज भी विद्यालय से बाहर हैं, बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून के आलोक में उनका विद्यालय में नामांकन कराया जाना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है।

राज्य में 6-14 आयुवर्ग के प्रत्येक बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध हो इसके लिए राज्य सरकार के स्तर से सभी बुनियादी सुविधा, यथा: 1 कि. मी. के अन्दर विद्यालय की स्थापना, विद्यालय में बच्चों के अनुपात में निर्धारित संख्या में शिक्षकों की व्यवस्था, विद्यालय में बच्चों के अनुकूल आवश्यक आधारभूत संरचना का निर्माण आदि का कार्य भी लगभग पूरा कर लिया गया है। जो कुछ कमी रह गई है उसे भी पूरा करने की दिशा में सघन एवं सार्थक प्रयास राज्य सरकार के स्तर से लगातार किया जा रहा है।

राज्य में बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून के लागू होने एवं राज्य सरकार के द्वारा राज्य के 6-14 आयुवर्ग के सभी बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु लगातार किये जा रहे प्रयासों के बावजूद आज भी हमारे सामने शिक्षा की चुनौतियाँ बरकरार हैं।

विद्यालय में नामांकित सभी बच्चे नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं।

विद्यालयों में बच्चे अपनी कक्षा के अनुरूप दक्षता नहीं प्राप्त कर रहे हैं।

विद्यालय में सभी बच्चों की नियमित उपस्थिति हो, सभी बच्चे अपनी कक्षा के अनुरूप निर्धारित दक्षताओं को प्राप्त करें इसमें शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षक शिक्षा की धूरी है। शिक्षक यदि चाहे तो सुविधाविहिन विद्यालय में भी दक्ष एवं योग्य बच्चों का फूल पुष्पित हो सकता है। "I have always felt that true textbook for the pupil is the teacher". (Mahatma Gandhi)

शिक्षा का संबंध सीधे तौर पर मानव विकास से जुड़ा हुआ है। "Education is a potent tool of human development". बिहार एक विकासशील राज्य है। इसके पास सबसे बड़ा संसाधन मानव संसाधन है। बिना मानव संसाधन विकास के राज्य के विकास की परिकल्पना बेमानी है। मानव संसाधन का विकास प्रत्येक बच्चे की प्रारम्भिक शिक्षा पर निर्भर है। यहीं से शिक्षा के सारे रास्ते खुलते हैं। यहीं पर बेहतर नागरिक की नींव डाली जाती है। वर्तमान बिहार जो विकास के दौर से गुजर रहा है एक विकसित प्रदेश की श्रेणी में सम्मिलित हो यह बच्चों की बेहतर प्रारम्भिक शिक्षा पर निर्भर है और इस दायित्व को पूरा करने का सारा दायित्व राज्य के शिक्षकों और शिक्षा से जुड़े हम सभी पर है।

शिक्षक भी मनुष्य हैं और इसी समाज के हैं। उनमें भी मानवजनित और समाज जनित गुण और दुर्गुण हो सकते हैं। शिक्षक का मतलब यह नहीं कि वह मनुष्येतर प्राणी है और सर्वज्ञ है। शिक्षक को भी अपने कौशल के विकास एवं संवर्द्धन हेतु लगातार सहयोग एवं सुझाव की आवश्यकता है। एक ऐसे सहयोग एवं सुझाव की आवश्यकता है जो मित्रवत एवं अपनत्व भरा हो।



अवधारणा

शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय

शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय का तात्पर्य, राज्य सरकार, शिक्षा विभाग का एक निदेशालय जो राज्य के शोध एवं प्रशिक्षण से संबंधित सभी प्रकार की गतिविधियों के प्रशासनिक नियंत्रण एवं सहयोग हेतु स्थापित एवं संचालित है।

राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्

राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् का तात्पर्य, राज्य के शोध एवं प्रशिक्षण तथा अन्य सभी प्रकार की शैक्षिक गतिविधियों के संचालन, नियंत्रण, एवं आवश्यक अकादमिक सहयोग प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर स्थापित संस्थान जो बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून के तहत राज्य सरकार के द्वारा अकादमिक ऑथोरिटी के रूप में निर्धारित है।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का तात्पर्य, अध्यापक शिक्षा की केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत जिला की प्रारम्भिक शिक्षा की अकादमिक गतिविधियों में आवश्यक सहयोग प्रदान करने एवं इसकी बेहतरी हेतु कार्य करने के लिए प्राधिकृत शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान।

प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय

जिला में सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण संचालित करने हेतु सरकार द्वारा स्थापित एवं नियंत्रित महाविद्यालय जो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्य करता है।

प्रखंड अध्यापक शिक्षा संस्थान

प्रखंड अध्यापक शिक्षा संस्थान से तात्पर्य, अध्यापक शिक्षा की केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत राज्य के अल्पसंख्यक (7) एवं अनुसूचित जाति (1) बाहुल्य जिलों में सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण हेतु स्थापित एवं संचालित संस्थान जो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के नियंत्रण में कार्य करेगी।

प्रखंड संसाधन केन्द्र

प्रखंड संसाधन केन्द्र का तात्पर्य, जिला के प्रत्येक प्रखंड में स्थापित ऐसा संस्थान जिसकी स्थापना प्रखंड के प्रारम्भिक विद्यालयों के शिक्षकों को आवश्यक शैक्षिक सहयोग प्रदान करने के लिए किया गया है।

संकुल संसाधन केन्द्र

संकुल संसाधन केन्द्र का तात्पर्य, प्राथमिक/प्रारम्भिक विद्यालयों के एक समूह के अकादमिक पर्यवेक्षण, अनुसमर्थन तथा उन विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों के अकादमिक मूल्यांकन, पर्यवेक्षण एवं अनुसमर्थन प्रदान करने हेतु स्थापित संस्थान।



शिक्षकों एवं शिक्षा की इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, प्रखंड संसाधन केन्द्र एवं संकुल संसाधन केन्द्र जैसी संस्थायें स्थापित की गई हैं। ये ऐसी संस्थायें हैं जिसमें शिक्षकों एवं शिक्षक मित्रों का ही प्रतिनिधित्व है। ये ऐसी संस्थायें हैं, जहाँ शिक्षक को अपनी कमियों का उल्लेख करने तथा उनको सुधारने हेतु आवश्यक सहयोग माँगने या प्राप्त करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होती है।

शिक्षकों के कार्यों में बेहतरी लाने, शिक्षण कौशल के विकास एवं वर्द्धन में मित्रवत सहयोग प्रदान करने एवं उनके साथ मिलकर कार्य करने हेतु प्रखंड संसाधन केन्द्र समन्वयक एवं संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक मार्गदर्शिका विकसित करने का एक प्रयास है।

आशा एवं उम्मीद की जाती है कि राज्य की प्रारम्भिक शिक्षा में एक बेहतर बदलाव परिलक्षित एवं प्रदर्शित होगा।



अवधारणा

शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय

शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय का तात्पर्य, राज्य सरकार, शिक्षा विभाग का एक निदेशालय जो राज्य के शोध एवं प्रशिक्षण से संबंधित सभी प्रकार की गतिविधियों के प्रशासनिक नियंत्रण एवं सहयोग हेतु स्थापित एवं संचालित है।

राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्

राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् का तात्पर्य, राज्य के शोध एवं प्रशिक्षण तथा अन्य सभी प्रकार की शैक्षिक गतिविधियों के संचालन, नियंत्रण, एवं आवश्यक अकादमिक सहयोग प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर स्थापित संस्थान जो बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून के तहत राज्य सरकार के द्वारा अकादमिक ऑथोरिटी के रूप में निर्धारित है।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का तात्पर्य, अध्यापक शिक्षा की केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत जिला की प्रारम्भिक शिक्षा की अकादमिक गतिविधियों में आवश्यक सहयोग प्रदान करने एवं इसकी बेहतरी हेतु कार्य करने के लिए प्राधिकृत शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान।

प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय

जिला में सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण संचालित करने हेतु सरकार द्वारा स्थापित एवं नियंत्रित महाविद्यालय जो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्य करता है।

प्रखंड अध्यापक शिक्षा संस्थान


प्रखंड अध्यापक शिक्षा संस्थान से तात्पर्य, अध्यापक शिक्षा की केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत राज्य के अल्पसंख्यक (7) एवं अनुसूचित जाति (1) बाहुल्य जिलों में सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण हेतु स्थापित एवं संचालित संस्थान जो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के नियंत्रण में कार्य करेगी।

प्रखंड संसाधन केन्द्र

प्रखंड संसाधन केन्द्र का तात्पर्य, जिला के प्रत्येक प्रखंड में स्थापित ऐसा संस्थान जिसकी स्थापना प्रखंड के प्रारम्भिक विद्यालयों के शिक्षकों को आवश्यक शैक्षिक सहयोग प्रदान करने के लिए किया गया है।

संकुल संसाधन केन्द्र

संकुल संसाधन केन्द्र का तात्पर्य, प्राथमिक/प्रारम्भिक विद्यालयों के एक समूह के अकादमिक पर्यवेक्षण, अनुसमर्थन तथा उन विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों के अकादमिक मूल्यांकन, पर्यवेक्षण एवं अनुसमर्थन प्रदान करने हेतु स्थापित संस्थान।



प्रखंड संसाधन केन्द्र समन्वयक

प्रत्येक प्रखंड संसाधन केन्द्र के लिए उस प्रखंड में स्थित प्राथमिक/प्रारम्भिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में से एक निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत चयनित पाँच या छः विषय विशेषज्ञ शिक्षक जिनका चयन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से किया जाएगा।

संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक

प्रत्येक संकुल के लिए उस संकुल में निर्धारित प्राथमिक/प्रारम्भिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में से एक निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत चयनित एक शिक्षक जिनका चयन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से किया जाएगा।

प्राथमिक/प्रारम्भिक विद्यालय

प्राथमिक/प्रारम्भिक विद्यालय का तात्पर्य, राज्य सरकार के द्वारा स्थापित, संचालित एवं पूर्णतः नियंत्रित कक्षा 1 से कक्षा 5 तक या कक्षा 1 से कक्षा 8 तक संचालित सरकारी विद्यालय।

शिक्षक

शिक्षक का तात्पर्य, राज्य के सरकारी प्राथमिक/प्रारम्भिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक।

अध्यापक शिक्षक

अध्यापक शिक्षक का तात्पर्य, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय एवं प्रखंड अध्यापक शिक्षा संस्थान में कार्यरत अध्यापक शिक्षक जिसमें सभी स्तर के अध्यापक शिक्षक सम्मिलित होंगे तथा वैसे शिक्षक/समन्वयक जिन्हें राज्य सरकार के द्वारा अध्यापक शिक्षक का दर्जा दिया जाए।



प्रखंड संसाधन केन्द्र समन्वयक

राज्य के प्रत्येक प्रखंड में स्थित प्राथमिक/प्रारम्भिक विद्यालयों एवं उसमें पदस्थापित शिक्षकों के कार्यों के पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं अकादमिक अनुसमर्थन प्रदान करने तथा आवश्यकतानुसार उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रत्येक प्रखंड संसाधन केन्द्र पर 5 विषय विशेषज्ञ शिक्षकों का एक समूह होगा जो प्रखंड संसाधन केन्द्र समन्वयक के रूप में जाना जाएगा। विषयवार इनकी संख्या निम्नवत् होगी:

हिन्दी -1

गणित - 1

विज्ञान - 1

अंग्रेजी - 1

सामाजिक विज्ञान -1

उर्दू -1 (आवश्यकतानुसार)

अर्हता -

आवश्यक अर्हता:

शैक्षणिक— न्यूनतम, संबंधित विषय में स्नातकोत्तर योग्यता। (स्नातकोत्तर योग्यताधारी के नहीं उपलब्ध होने की स्थिति में स्नातक योग्यताधारी का चयन किया जा सकता है)

प्रशैक्षणिक - न्यूनतम, दो वर्षीय डिप्लोमा इन एजुकेशन। (उच्चतम योग्यताधारी यथा : बी. एड. / एम. एड. योग्यताधारी को प्राथमिकता दी जाएगी)


नोट :

1. शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक रूप से समान योग्यताधारी एक से अधिक अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की स्थिति में प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक को चयन का आधार बनाया जाएगा।
2. प्रशैक्षणिक प्राप्तांक समान होने की स्थिति में शैक्षणिक प्राप्तांक को आधार बनाया जाएगा।
3. शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्राप्तांक समान होने की स्थिति में परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाएगा।

शिक्षण कार्य का अनुभव - प्राथमिक/प्रारम्भिक विद्यालय में कम-से कम तीन वर्ष शिक्षण कार्य का अनुभव।

अधिकतम उम्र-सीमा - 55 वर्ष।

कम्प्यूटर से संबंधित जानकारी— कम्प्यूटर संचालन की आधारभूत जानकारी।


01.02.13

विशिष्ट अर्हता:

ऊपर निर्धारित आवश्यक अर्हताधारी अभ्यर्थियों में से निम्नलिखित विशिष्ट योग्यता रखनेवाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

- शारीरिक रूप से भ्रमण में सक्षम हो।
- शैक्षणिक गतिविधियों, पुस्तक लेखन, शिक्षक प्रशिक्षण, प्रशिक्षण मॉड्यूल निर्माण आदि कार्यों में भाग लेने का अनुभव (प्रमाण पत्र राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् से दिया जाएगा)।
- पाठ सहगामी क्रियाओं यथा: खेल-कूद, गीत-संगीत, नाटक, आदि में भाग लेने का अनुभव।

अवधि :

प्रखंड संसाधन केन्द्र समन्वयक का चयन अधिकतम 5 वर्षों के लिए किया जाएगा।

कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने की स्थिति में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य के द्वारा किसी भी समय इन्हें पद से हटाया जा सकता है।

चयन :

प्रखंड संसाधन केन्द्र समन्वयक का चयन जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान के स्तर पर गठित 5 सदस्यीय चयन समिति के द्वारा किया जाएगा।

चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे-

1. प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान - अध्यक्ष
2. जिला में स्थित किसी एक प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय/प्रखंड अध्यापक शिक्षा संस्थान का प्राचार्य -सदस्य।

(अथवा)

जिला में प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय/प्रखंड अध्यापक शिक्षा संस्थान नहीं होने की स्थिति में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का उप प्राचार्य/वरीय व्याख्याता - सदस्य

3. राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् के निदेशक द्वारा नामित एक प्रतिनिधि - सदस्य
4. संबंधित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी - सदस्य
5. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के राज्य परियोजना निदेशक द्वारा नामित एक प्रतिनिधि - सदस्य
(1. जिला में एक से अधिक प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय/प्रखंड अध्यापक शिक्षा संस्थान होने की स्थिति में प्राचार्य का चयन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य के द्वारा किया जाएगा।
2. कम-से कम तीन सदस्यों की उपस्थिति में चयन समिति कार्य करने एवं निर्णय लेने हेतु सक्षम होगी)।

चयन समिति के कार्य एवं दायित्व :

1. प्रखंड संसाधन केन्द्र समन्वयक एवं संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक के चयन की पूरी प्रक्रिया संपादित करना।
2. आवश्यकतानुसार चयन हेतु लिखित, मौखिक जांच आयोजित करना।



3. चयनित प्रखंड संसाधन केन्द्र समन्वयकों एवं संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयकों के चयन की सूचना प्रकाशित करना।

चयन की प्रक्रिया :

- सर्वप्रथम प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा चयन समिति की बैठक आहूत कर वैसे प्रखंडों को चिह्नित किया जाएगा जिसमें प्रखंड संसाधन केन्द्र समन्वयकों का चयन किया जाना है तथा चयन कराने का निर्णय लिया जाएगा।
- प्राचार्य के द्वारा सभी चिह्नित प्रखंडों के लिए प्रखंड संसाधन केन्द्र समन्वयक के चयन हेतु तिथि निर्धारित की जाएगी एवं निर्धारित तिथि को सभी शिक्षकों की गोष्ठी आयोजित करने की सूचना संबंधित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दी जाएगी।
- निर्धारित तिथि को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य के द्वारा नामित व्याख्याता/प्राचार्य, के द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के साथ शिक्षक गोष्ठी में भाग लिया जाएगा।
- गोष्ठी में विषयवार प्रखंड संसाधन केन्द्र समन्वयक पद हेतु निर्धारित योग्यताधारी शिक्षकों से आवेदन प्राप्त किया जाएगा।
- यह प्रक्रिया चिह्नित सभी प्रखंडों के लिए अपनाई जाएगी।
- सभी चिह्नित प्रखंडों से आवेदन प्राप्त हो जाने के बाद चयन समिति की बैठक पुनः आहूत की जाएगी एवं समन्वयकों का चयन निर्धारित अर्हता के अनुरूप किया जाएगा।
- कम्प्यूटर की जानकारी हेतु प्रखंड संसाधन केन्द्र अथवा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पर अभ्यर्थियों का कम्प्यूटर टेस्ट आयोजित किया जाएगा।
- प्रखंडवार चयनित संसाधन केन्द्र समन्वयकों की सूची प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा प्रकाशित की जाएगी।
- सूची प्रकाशन के बाद संबंधित प्रखंड संसाधन केन्द्र समन्वयक विधिवत चयनित माने जाएंगे।

प्रखंड संसाधन केन्द्र एवं उसका नियंत्रण :

- ⇒ प्रखंड में शैक्षिक गतिविधियों के संचालन हेतु निर्मित प्रखंड संसाधन केन्द्र, प्रखंड संसाधन केन्द्र समन्वयकों के पूर्ण नियंत्रण में होगा।
- ⇒ इस कार्य को प्रभावी ढंग से संचालित करने हेतु चयनित सभी प्रखंड संसाधन केन्द्र समन्वयक आपस में बैठकर वरीय प्रखंड संसाधन केन्द्र समन्वयक का चुनाव करेंगे।
- ⇒ चयनित वरीय प्रखंड संसाधन केन्द्र समन्वयक ही प्रखंड संसाधन केन्द्र का मुख्य नियंत्रक एवं संचालक होगा एवं प्रभारी प्रखंड संसाधन केन्द्र के रूप में जाना जाएगा।
- ⇒ वरीय प्रखंड संसाधन केन्द्र समन्वयक के चयन में विवाद की स्थिति में इसका निराकरण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य के द्वारा किया जाएगा।
- ⇒ प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा लिया गया निर्णय सभी को मान्य होगा।
- ⇒ प्रखंड संसाधन केन्द्र में संचालित प्रत्येक शैक्षिक गतिविधियों का लेखा-जोखा वरीय प्रखंड संसाधन केन्द्र समन्वयक के द्वारा दर्ज किया जाएगा।



